क्रमांक 12/59/89-2 जी.एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल ।
2. सभी उपायुक्त एवं सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 8 जुलाई, 1991.

विषय :- लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों का भरना ।

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 39/1/78-2 जी.एस. I, दिनांक 3-4-78 क्रमांक 12/59/89-2 जी.एस. I, दिनांक 24.5.90, जिन द्वारा यह हिदायतें जारी की गई थी कि जो लि दिनांक 24.5.90 या इससे पहले नियुक्त किए गए थे उनके लिए निर्धारित दर से अंग्रेजी या हिन्दी टाईप टैस्ट करना आवश्यक है तथा जो लिपिक इसके बाद नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए दोनों भाषाओं में टाईप टैस्ट करना आवश्यक होगा, की ओर ध्यान दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले पर आगे विचार गया है और यह निर्णय लिया गया है दिनांक 24.5.90 से पहले नियुक्त जो लिपिक अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भ में निर्धारित दर से टाईप टैस्ट पास करेगा उसे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी ।

2. यह भी यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई लिपिक दिनांक 24.5.90 से पहले तदर्थ आधार नियुक्त थे तथा बाद में उनकी सेवायें 31.12.90 से नियमित कर दी गई हैं तो उन्हे दोनों भाषाओं मे टाईप टैस्ट करना आवश्यक है क्योंकि उनकी नियमित नियुक्ति 24.5.90 के बाद की गई है ।

वित्त विभाग का उनके अशा. क्रमांक 3 (7) 90-1 एफ.जी 1/3094ए, दिनांक 5.6.91 द्वारा अनु प्राप्त कर लिया गया है ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

अधीक्षक सामान्य सेवायें शाखा

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

एक प्रति सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाह प्रेषित है ।

हस्ताक्षर

अधीक्षक सामान्य सेवायें शाखा

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

सेवा में